[1990] 4 उम० नि० प० 967

[तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी अधिकार संरक्षण समिति और अन्य

बनाम]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

23 मार्च, 1990

मुख्य न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी, न्या० बी० सी० राय, एम० एच० कानिया, के० एन० साइकिया और एस० सी० अग्रवाल

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959—धारा 13 (1) और 32 [सपठित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (नियुक्ति और सेवा के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 1975 का विनियम 3 (2) (ख)]—पेंशन प्रसुविधाएं—तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, जब वह सरकारी विभाग के रूप में चलाया जा रहा था, अस्थायी हैसियत में नियोजित ऐसे व्यक्तियों का पेंशन के लिए दावा, जो बाद में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अधीन यथास्थापित आयोग में आमेलित कर लिए गए, चलने योग्य नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल की गई इस रिट याचिका में एकमात्र प्रश्न, जो विचारार्थ उद्भूत हुआ है, यह है कि क्या वे व्यक्ति, जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, जब वह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 के अधिनियमन से

1990(3) eILR(PAT) SC 1

पूर्व भारत सरकार के एक विभाग के रूप में चलाया जा रहा था, अस्थायी हैसियत में नियोजित थे, और जो बाद में उक्त अधिनियम के अधीन यथास्थापित आयोग में आमेलित कर लिए गए थे, भविष्य निधि प्रसुविधाओं के अतिरिक्त, जिनके लिए वे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अधीन हकदार हैं, पेंशन के हकदार हैं। रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—वर्तमान मामले में याची उस समय अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए थे, जब तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अधीन आयोग कानूनी निकाय के रूप में स्थापित किया गया और उस तारीख को वे पेंशन का दावा करने के लिए हकदार नहीं थे क्योंकि सुसंगत नियमों के अधीन अस्थायी आधार पर नियोजित व्यक्ति को पेंशन संदेय नहीं थी। अतः याची यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उनके वर्ष 1959 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अधीन स्थापित आयोग के कर्मचारी हो जाने की तारीख को उन्हें पेंशन का अधिकार प्राप्त था, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) और विनियम के विनियम 3 के खंड (2) के अधीन संरक्षण प्रदान किया गया है। याची इस आधार पर भी पूर्वोक्त उपबंधों के संरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार उनके तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन आयोग के कर्मचारी हो जाने की तारीख को उनकी सेवा का एक भाग था, क्योंकि उन्हें लागू सुसंगत सेवा नियमों के अधीन, वे या तो पेंशन का दावा कर सकते थे या अभिदाय भविष्य निधि के फायदे का दावा कर सकते थे और वे दोनों प्रसुविधाओं का फायदा नहीं ले सकते थे। चूंकि याची भविष्य निधि अधिनियम और भविष्य निधि स्कीम के अधीन अभिदायी भविष्य निधि के फायदे के लिए हकदार हैं, और उन्होंने गत 28 वर्षों से उक्त फायदा प्राप्त किया है, अतः यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने उक्त फायदे के लिए विकल्प का प्रयोग किया है और वे पेंशन के संबंध में सेवा नियमों का अवलंब नहीं ले सकते हैं और अपनी सेवा की शर्तों के भाग के रूप में पेंशन प्राप्त करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। (पैरा 9)

भविष्य निधि अधिनियम द्वारा परिकल्पित, सेवानिवृत्ति की प्रसुविधा के रूप में, अभिदायी भविष्य निधि की स्कीम वृद्धावस्था पेंशन के विकल्प के रूप में है क्योंकि यह महसूस किया गया कि भारत में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए, निकट भविष्य में पेंशन स्कीम आरंभ करने की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। संसद् का यह आशय नहीं था कि उक्त अधिनियम द्वारा परिकल्पित भविष्य निधि प्रसुविधा पेंशन के फायदों के अतिरिक्त होगी। भविष्य निधि अधिनियम की धारा 12 द्वारा ऐसे कर्मचारी की मजदूरी को संरक्षण प्रदान करना ईप्सित है, जिसे उक्त अधिनियम के अधीन विरचित स्कीम लागू होती है, तथा कुछ विनिर्दिष्ट प्रसुविधाओं के कुल परिमाण को भी संरक्षण प्रदान करना ईप्सित है, जिसके लिए वह अपने नियोजन के निबंधनों के अधीन हकदार है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, धारा 12 द्वारा नियोजक को ऐसे कर्मचारी की मजदूरी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कटौती करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है, जिसे स्कीम लागू होती है, या वृद्धावस्था-पेंशन, उपदान भविष्य निधि या जीवन बीमा के रूप में कुल प्रसुविधाओं में कटौती करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है, जिसे कर्मचारी अपने नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों के अधीन

हकदार है । उक्त धारा इस आधार पर चलती है कि यदि कोई कर्मचारी अपने नियोजन के निबंधनों के अधीन वृद्धावस्था-पेंशन के रूप में किसी प्रसुविधा के लिए हकदार है, तो स्कीम के लागू होने पर उसे उस प्रसुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा । याचियों का यह प्रकथन नहीं है कि तारीख 30 जून, 1961 को जब भविष्य निधि स्कीम आयोग को लागू बनाई गई, याची स्थायी हो गए थे और वे पेंशन के लिए हकदार थे । अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य निधि स्कीम के आयोग को लागू होने की तारीख को याची अपने नियोजन के निबंधनों के अधीन पेंशन के लिए हकदार थे । अत: वे भविष्य निधि अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों का अवलंब नहीं ले सकते हैं । (पैरा 13)

अत: वे व्यक्ति, जो उस समय आयोग के यहां स्थायी हैसियत में नियोजित किए गए थे, जब वह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अधिनियमित किए जाने के पूर्व भारत सरकार के विभाग के रूप में चलाया जा रहा था, और जो उक्त अधिनियम के अधीन यथास्थापित आयोग में बाद में आमेलित कर लिए गए, भविष्य निधि प्रसुविधाओं के अतिरिक्त पेंशन के लिए हकदार नहीं हैं, जिनके लिए वे भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंधों के अधीन हकदार हैं । (पैरा 15)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1981] [1981] 2 एस० सी० आर० 111 :
सोम प्रकाश रेखी बनाम भारत संघ और एक अन्य. 10

आरंभिक रिट अधिकारिता : 1988 की सिविल रिट याचिका सं० 1152.

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन याचिका ।

याचियों की ओर से	सर्वश्री एम० के० राममूर्ति, आर० सी० पाठक, नरेश माथुर, सुधीर कुमार और सुश्री बेबी लाल
प्रत्यर्थियों की ओर से	सर्वश्री ब० दत्त, आर० के० जोशी और एस० के० जैन

न्यायालय का निर्णय न्या० एस० सी० अग्रवाल ने दिया ।

न्या० अग्रवाल—संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल की गई इस रिट याचिका में एकमात्र प्रश्न, जो विचारार्थ उद्भूत हुआ है, यह है कि क्या वे व्यक्ति, जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आयोग' कहा गया है) के यहां, जब वह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) के अधिनियमन से पूर्व भारत सरकार के एक विभाग के रूप में चलाया जा रहा था, अस्थायी हैसियत में नियोजित थे और जो बाद में उक्त अधिनियम के अधीन यथास्थापित आयोग में आमेलित कर लिए, भविष्य निधि प्रसुविधाओं के अतिरिक्त,

जिनके लिए वे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनितम (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'भविष्य निधि अधिनियम' कहा गया है) के अधीन के लिए हकदार हैं, पेंशन के हकदार हैं।

2. आरंभ में आयोग भारत सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया और वह तारीख 15 अक्तूबर, 1959 तक इस रूप में बना रहा, जब उक्त अधिनियम अधिनियमित किया गया और आयोग उक्त अधिनियम के अधीन एक कानूनी निकाय के रूप में स्थापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 13 में उसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधनों तथा शर्तों पर आयोग को वर्तमान कर्मचारियों की सेवा के अंतरण का उपबंध किया गया है, जो वेउस स्थिति में धारित करते, यदि आयोग स्थापित नहीं किया होता, जब तक कि ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधनों तथा शर्तों में आयोग द्वारा समुचित रूप से परिवर्तन नहीं किया जाता। उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के परंतुक में यह भी उपबंध किया गया है कि ऐसे किसी कर्मचारी की अवधि, पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों तथा निबंधनों में, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना, उसे अलाभप्रद रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उक्त अधिनियम की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में आयोग ने केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियमन, 1975 (जिन्हें इसके पश्चात् 'विनियम' कहा गया है) विरचित किए हैं। विनियम 3 के खंड 2 (ख) में यह उपबंध किया गया है कि विनियम की कोई भी बात किसी कर्मचारी को ऐसे किसी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगी, जिसके लिए वह सेवा के निबंधनों या शर्तों द्वारा या ऐसे व्यक्ति और सरकार के बीच विद्यमान किसी करार द्वारा हकदार है।

3. तारीख 16 मई, 1961 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 705 द्वारा, भविष्य निधि अधिनियम की सूची I में इस प्रकार संशोधन किया गया कि उक्त अधिनियम के उपबंध तारीख 30 जून, 1961 से पेट्रोलियम के विनिर्माण या प्राकृतिक गैस की खोज, पूर्वेक्षण, ड्रिलिंग या उत्पादन में रत किसी उद्योग को लागू किए जा सकें। तारीख 16 मई, 1961 की एक अन्य अधिसूचना सं० सा० का० नि० 706 द्वारा, जो भविष्य निधि अधिनियम की धारा 1 (3)(ख) के अधीन जारी की गई, उक्त अधिनियम के उपबंध तारीख 30 जून, 1961 से पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस अथवा पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के उत्पादों के संग्रहण या परिवहन या वितरण में रत स्थापनों को लागू बनाए गए। तारीख 5 जून, 1961 की अधिसूचना द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'भविष्य निधि स्कीम' कहा गया है) में एक समरूपी संशोधन किया गया, जिसके द्वारा उक्त स्कीम के पैरा 1 के उप-पैरा (3) के खंड (ख) में उपखंड (18) अंतःस्थापित किया गया और तद्द्वारा भविष्य निधि स्कीम तारीख 30 जून, 1961 से पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस खोज, पूर्वेक्षण (प्रास्पैक्टिंग), ड्रिलिंग या उत्पादन और पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस परिष्करण से संबद्ध कारखानों और पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस अथवा पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के उत्पादों के संग्रहण या परिवहन या वितरण में रत स्थापनों को लागू बनाई गई, जो क्रमशः भारत सरकार के श्रम और नियोजन मंत्रालय की तारीख 16 मई, 1961 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 705 और 706 के अंतर्गत आते थे। भविष्य निधि अधिनियम और भविष्य

निधि स्कीम में किए गए पूर्वोक्त संशोधनों के परिणामस्वरूप, भविष्य निधि अधिनियम और भविष्य निधि स्कीम के उपबंध तारीख 30 जून, 1961 से आयोग को लागू हो गए।

4. इस रिट याचिका में याची उन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उक्त अधिनियम के अधिनियमन से पूर्व अस्थायी आधार पर आयोग में नियोजित किए गए थे और जो उक्त अधिनियम के अधिनियमित किए जाने के पश्चात् आयोग में आमेलित कर लिए गए हैं तथा आयोग का स्थापन एक कानूनी निकाय है। याचियों का यह पक्षकथन है कि जब वे उक्त अधिनियम के अधिनियमित किए जाने से पूर्व आयोग में नियोजित किए गए थे, वे सुसंगत नियमों के अधीन, जो उनकी सेवा को लागू होते थे, उनके स्थायी बनाए जाने पर पेंशन के लिए हकदार थे और पेंशन के उक्त अधिकार को, जो उनकी सेवा की शर्तों का भाग था, उक्त अधिनियम की धारा 13 (1) के अधीन संरक्षण प्राप्त है। याचियों ने यह निवेदन किया है कि वे व्यक्ति, जो अधिनियम के अधिनियमित किए जाने से पूर्व, आयोग के यहां अस्थायी आधार पर नियोजित किए गए थे और जो अधिनियम के अधिनियमित किए जाने के पश्चात् आयोग में आमेलित कर लिए गए, इस तथ्य का विचार किए बिना सेवा-निवृत्ति पर पेंशन के लिए हकदार हैं कि वे भविष्य निधि अधिनियम और भविष्य निधि स्कीम के उपबंधों के अधीन भविष्य निधि प्रसुविधाओं के लिए हकदार हैं।

5. आयोग ने रिट याचिका का विरोध किया है और उसकी ओर से फाइल किए गए प्रतिशपथपत्र में यह कहा गया है कि अभिदायी भविष्य निधि आरंभ किए जाने के पश्चात्, भविष्य निधि अधिनियम और भविष्य निधि स्कीम के अनुसार याची अभिदायी भविष्य निधि की प्रसुविधाओं (फायदों) का लाभ उठाते रहे हैं और चूंकि याचियों ने भविष्य निधि अधिनियम और भविष्य निधि स्कीम के अधीन अभिदायी भविष्य निधि का विकल्प दिया, अतः वे अभिदायी भविष्य निधि के अतिरिक्त पेंशन का दावा नहीं कर सकते हैं। यह निवेदन किया गया है कि उक्त अधिनियम के अधिनियमन की तारीख को, याची अस्थायी कर्मचारी थे और वे, उन्हें लागू सुसंगत नियमों के अधीन पेंशन के लिए हकदार नहीं थे और इसलिए वे उक्त अधिनियम के अधिनियमित किए जाने के पश्चात् आयोग में आमेलित कर लिए जाने के पश्चात् अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लिए हकदार नहीं हैं। यह निवेदन भी किया गया है कि याची दोहरे फायदे, अर्थात् अभिदायी भविष्य निधि और पेंशन, का दावा नहीं कर सकते हैं और वे या तो अभिदायी भविष्य निधि का दावा कर सकते हैं या पेंशन का, और चूंकि उन्होंने भविष्य निधि स्कीम के आरंभ किए जाने पर अभिदायी भविष्य निधि का विकल्प दिया है और वे गत 28 वर्षों के दौरान उक्त प्रसुविधा का फायदा उठाते रहे हैं, अतः उन्हें अभिदायी भविष्य निधि के अतिरिक्त पेंशन का दावा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है।

6. याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री एम० के० राममूर्ति ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) और विनियमों के विनियम 3 के खंड (2) का अवलंब लिया है, जिनमें यह उपबंध किया गया है—

"धारा 13 (1). इन अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस आयोग की स्थापना की तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान संगठन द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति

1990(3) eILR(PAT) SC 1

उस तारीख को और से, आयोग का कर्मचारी हो जाएगा और उसका पदनाम वह होगा जो आयोग अवधारित करे, तथा उसमें वह अपना पद तथा सेवा उसी अवधि के लिए, वैसे ही पारिश्रमिक पर, तथा वैसे ही निबंधनों और शर्तों पर धारण करेगा जैसे कि उसने उस तारीख को उस दशा में धारण किया होता जब आयोग की स्थापना न हुई होती, और तब तक बराबर धारण करता रहेगा जब तक आयोग में उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा निबंधन और शर्तें आयोग द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं :

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति की—

(क) सेवा की अवधि, पारिश्रमिक तथा निबंधन और शर्तें केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना, उसे अलाभप्रद रूप में परिवर्तित नहीं की जाएंगी;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा विद्यमान-संगठन में की गई कोई सेवा आयोग के अधीन सेवा समझी जाएगी; और

(ग) आयोग की स्थापना की तारीख को आयोग द्वारा नियोजित सभी व्यक्ति, जो उस तारीख से ठीक पूर्व, संघ या किसी राज्य के कामकाज के संबंध में स्थायी या स्थायीवत् हैसियत में पद, न कि विद्यमान-संगठन में पद, धारण करते हैं, आयोग के साथ अन्यत्र सेवा में सरकारी सेवकों के रूप में माने जाएंगे।"

*"विनियम 3(2) : इन विनियमों की कोई भी बात किसी कर्मचारी को किसी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगा, जिसके लिए वह—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन; या

(ख) सेवा के निबंधनों या शर्तों अथवा ऐसे व्यक्ति और सरकार के बीच विद्यमान किसी करार द्वारा; या

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"Regulation 3(2): Nothing in these regulations shall operate to deprive any employee of any right or privilege to which he is entitled—

(a) by or under any law for the time being in force; or

(b) by the terms of conditions of service, or any agreement, subsisting between such person and the Government, or

(ग) इन विनियमों के प्रारंभ के समय उसके और आयोग के बीच विद्यमान किसी करार के निबंधनों द्वारा, हकदार है।"

7. श्री राममूर्ति का यह निवेदन है कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) को देखते हुए, वे कर्मचारी, जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधीन आयोग की स्थापना से तुरंत पूर्व आयोग में नियोजित किए गए थे, आयोग के कर्मचारी हो गए और वे उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर आयोग में अपना पद या सेवा धारित करने के लिए हकदार हैं, जो उन्हें आयोग की ऐसी स्थापना की तारीख को लागू होते थे, और वे तब तक ऐसा करते रहने के लिए हकदार हैं जब तक कि ऐसे निबंधनों और शर्तों में आयोग द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं किया जाता है और सेवा के निबंधनों और शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन जो उनके लिए अलाभप्रद है, केवल केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से ही किया जा सकता है और कर्मचारियों के उक्त अधिकार को विनियमों के विनियम 3 के खंड (2) द्वारा भी संरक्षण प्रदान किया गया है, जो केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से आयोग द्वारा विरचित किए गए हैं। श्री राममूर्ति ने दलील दी है कि सुसंगत सेवा नियमों के अधीन, जो उस समय याचियों को लागू होते थे, जब वे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अधिनियमित किए जाने पर आयोग की सेवा में आमेलित किए गए, याची, यद्यपि वे स्थायी कर्मचारी थे, उनके स्थायी बना दिए जाने पर पेंशन के लिए हकदार थे और यह कि याचियों के उक्त अधिकार को, उनकी सेवा की शर्तों का एक भाग होने के कारण, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) और विनियमों के विनियम 3 के खंड (2) द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है और वह वापस नहीं लिया गया है क्योंकि केंद्रीय सरकार ने याचियों के उक्त अधिकार के वंचन को अपना अनुमोदन प्रदान नहीं किया है। अपने पूर्वोक्त निवेदनों के समर्थन में श्री राममूर्ति ने हमारा ध्यान केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पेंशन नियम कहा गया है) के नियम 13 के उपबंधों के प्रति आकर्षित किया है, जो अर्हक सेवा के आरंभ होने के संबंध में है और जिसमें यह विहित किया गया है कि किसी सरकारी सेवक की अर्हक सेवा उस तारीख से आरंभ होगी, जिसको वह उस पद का कार्यभार संभालता है, जिसके लिए वह अधिष्ठायी रूप से या स्थानापन्न अथवा अस्थायी हैसियत में नियुक्त किया गया है, बशर्ते कि स्थानापन्न या अस्थायी सेवा के पश्चात् उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति किसी अवरोध के बिना की जाती है।

8. पेंशन नियम वर्ष 1972 में जारी किए गए और वे उस समय लागू नहीं थे, जब याची तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, 1959 के अधिनियमित किए जाने पर आयोग में आमेलित किए गए। तथापि, इस बात के बारे में कोई विवाद नहीं हैं कि सिविल सेवा विनियमों में यथाअंतर्विष्ट, पेंशन से संबंधित उपबंध, जो उस समय लागू थे, पेंशन नियमों में अंतर्विष्ट विनियमों से भिन्न नहीं थे और पेंशन केवल उस स्थिति में ही संदेय थी, यदि नियुक्ति अधिष्ठायी और स्थायी थी (विनियम 352, 361 और 368)। सिविल सेवा

(c) by the terms of any agreement subsisting between him and the Commission at the commencement of these regulations."

विनियमों के अधीन, ऐसा कर्मचारी, जो आरंभ में संविदा पर नियुक्त किया गया और बाद में कर्तव्य के अवरोध के बिना पेंशनीय (पेंशनेबल) आधार पर अधिष्ठायी हैसियत में उसी या भिन्न पद पर नियुक्त किया गया, संविदा की अवधि के लिए ब्याज सहित अपनी अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय सरकार को अभ्यर्पित करने और पेंशन के प्रति संविदा सेवा का आधा भाग संगणित करने के लिए अनुज्ञात किया गया (देखें चौधीरीकृत कम्पाइलेशन ऑफ सिविल सर्विस रेगुलेशंस, पंचम संस्करण, भाग-I, पृष्ठ 216-217)। इसी प्रकार, ऐसे मामलों में, जिनमें स्थायी सरकारी सेवक को सरकारी विभाग के ऐसे निकाय के रूप में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप स्वशासी संगठन को स्थानांतरित किया गया, तारीख 5 नवंबर, 1964 का सरकारी आदेश था (रिट याचिका का उपाबंध 3), जिसमें यह उपबंध किया गया कि सरकारी सेवक को सरकारी नियमों के अधीन उसे उपलब्ध पेंशन की प्रसुविधा प्रतिधारित करने या स्वशासी निकाय के नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प प्रदत्त किया जाएगा। यह विकल्प स्थायीवत् और अस्थायी कर्मचारियों को भी, उनके स्वशासी निकाय में पुष्ट किए जाने के पश्चात्, उपलब्ध था। दूसरे शब्दों में, कोई भी सरकारी सेवक या तो पेंशन की प्रसुविधाओं का लाभ उठा सकता था या वह अभिदायी भविष्य निधि का फायदा उठा सकता था, किंतु वह दोनों प्रसुविधाओं का फायदा नहीं उठा सकता था। पेंशन नियमों के नियम 2 (घ) में एक अभिव्यक्त उपबंध है, जिसमें यह विहित किया गया है कि उक्त नियम अभिदायी भविष्य निधि के फायदों के लिए हकदार व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे।

9. वर्तमान मामले में याची उस समय अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए थे, जब तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अधीन आयोग कानूनी निकाय के रूप में स्थापित किया गया और उस तारीख को वे पेंशन का दावा करने के लिए हकदार नहीं थे क्योंकि सुसंगत नियमों के अधीन, अस्थायी आधार पर नियोजित व्यक्ति को पेंशन संदेय नहीं थी। अतः याची यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उनके वर्ष 1959 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अधीन स्थापित आयोग के कर्मचारी हो जाने की तारीख को उन्हें पेंशन का अधिकार प्राप्त था, जिसे धारा 13 की उपधारा (1) और विनियमों के विनियम 3 के खंड (2) के अधीन संरक्षण प्रदान किया गया है। याची इस आधार पर भी पूर्वोक्त उपबंधों के संरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार उनके तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन आयोग के कर्मचारी हो जाने की तारीख को उनकी सेवा का एक भाग था, क्योंकि उन्हें लागू सुसंगत सेवा नियमों के अधीन, वे या तो पेंशन का दावा कर सकते थे या अभिदायी भविष्य निधि के फायदे का दावा कर सकते थे और वे दोनों प्रसुविधाओं का फायदा नहीं ले सकते थे। चूंकि याची भविष्य निधि अधिनियम और भविष्य निधि स्कीम के अधीन अभिदायी भविष्य निधि के फायदे के लिए हकदार हैं, और उन्होंने गत 28 वर्षों से उक्त फायदा प्राप्त किया है, अतः यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने उक्त फायदे के विकल्प का प्रयोग किया है और वे पेंशन के संबंध में सेवा नियमों का अवलंब नहीं ले सकते हैं और अपनी सेवा की शर्तों के भाग के रूप में पेंशन प्राप्त करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। अतः हम श्री राममूर्ति की इस दलील को, जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) और विनियमों के विनियम 3 के खंड (2) पर आधारित है,

1990(3) eILR(PAT) SC 1

स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि याची भविष्य निधि अधिनियम और भविष्य निधि स्कीम के अधीन उन्हें संदेय भविष्य निधि के अतिरिक्त पेंशन का दावा करने के लिए भी हकदार है।

10. उसके पश्चात् श्री राममूर्ति ने यह दलील दी है कि भविष्य निधि अधिनियम की धारा 12 को देखते हुए, पेंशन के लिए याचियों का अधिकार परिरक्षित रखा गया है और भविष्य निधि अधिनियम तथा भविष्य निधि स्कीम के उपबंधों के अधीन अभिदायी भविष्य निधि के आरंभ किए जाने से याची पेंशन का दावा करने के लिए निर्हकित नहीं हो जाते हैं, जिसके लिए वे आयोग से अभिदायी भविष्य निधि आरंभ किए जाने से पूर्व हकदार थे। अपने पूर्वोक्त निवेदन के समर्थन में श्री राममूर्ति ने **सोम प्रकाश रेखी** बनाम **भारत संघ और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया है।

11. भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 12 में यह उपबंध किया गया है—

> *"ऐसे स्थापन के संबंध में, जिसे कोई स्कीम या बीमा स्कीम लागू होती है, कोई भी नियोजक, केवल निधि में या बीमा निधि में अभिदाय या इस अधिनियम या स्कीम या बीमा स्कीम के अधीन किसी प्रभार के संदाय हेतु उसके दायित्व के कारण ही, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे किसी कर्मचारी की मजदूरी में कटौती नहीं करेगा, जिसे स्कीम या बीमा स्कीम लागू होती है या वृद्धावस्था पेंशन, उपदान, भविष्य निधि या जीवन बीमा के रूप में प्रसुविधाओं के कुल परिमाण में कोई कटौती नहीं करेगा, जिसके लिए कर्मचारी अपने नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों के अधीन हकदार है।"

12. हमारी राय में, उक्त उपबंध वर्तमान मामले को लागू नहीं होता है। भविष्य निधि अधिनियम, उक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों और अन्य स्थापनों के कर्मचारियों को, उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात्, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियमिति के उद्देश्यों और कारणों के कथन (विवरण) में यह उल्लेख किया गया –

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

> "No employer in relation to an establishment to which any Scheme or the Insurance Scheme applies shall, by reason only of his liability for the payment of any contribution to the Fund or the Insurance Fund or any charges under this Act or the Scheme or the Insurance Scheme reduce, whether directly or indirectly, the wages of any employee to whom the Scheme or the Insurance Scheme applies or the total quantum of benefits in the nature of old age pension, gratuity, provident fund or life insurance to which the employee is entitled under the terms of his employment, express or inplied."

---

1 [1981] 3 एस० सी० आर० 111,

"औद्योगिक कर्मकार के भविष्य के लिए, उसके सेवानिवृत्त होने के पश्चात् या उसकी जल्दी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके आश्रितों के लिए कुछ व्यवस्था करने का प्रश्न कुछ वर्षों से विचाराधीन रहा है। वृद्धावस्था और उत्तरजीवी पेंशन के रूप में व्यवस्था आदर्श व्यवस्था होती, जैसा कि औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में किया गया है। किंतु भारत में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए, पेंशन स्कीम की निकट भविष्य में कल्पना नहीं की जा सकती है। एक अन्य विकल्प सेवा की विहित अवधि के पश्चात् उपदान की व्यवस्था हो सकता है। तथापि, उपदान स्कीम का मुख्य दोष यह है कि किसी कर्मकार या उसके आश्रितों को संदत्त रकम स्वल्प होगी, क्योंकि कर्मकार स्वयं निधि में कोई अभिदाय नहीं कर रहा होगा। विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सबसे अधिक उचित मार्ग यह प्रतीत होता है कि अनिवार्यत: अभिदायी भविष्य निधि की स्कीम आरंभ की जाए, जिसमें कर्मकार और नियोजक दोनों ही अभिदाय करेंगे। अन्य लाभों के अतिरिक्त, कर्मकारों में नियमित रूप से कुछ बचाने की भावना उत्पन्न करने का लाभ स्पष्ट ही है।"

13. इससे यह उपदर्शित होता है कि भविष्य निधि अधिनियम द्वारा परिकल्पित, सेवानिवृत्ति की प्रसुविधा के रूप में, अभिदायी भविष्य निधि की स्कीम वृद्धावस्था पेंशन के विकल्प के रूप में है क्योंकि यह महसूस किया गया कि भारत में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए, निकट भविष्य में पेंशन स्कीम आरंभ करने की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। संसद् का यह आशय नहीं था कि उक्त अधिनियम द्वारा परिकल्पित भविष्य निधि प्रसुविधा पेंशन के फायदों के अतिरिक्त होगी। भविष्य निधि अधिनियम की धारा 12 द्वारा ऐसे कर्मचारी की मजदूरी को संरक्षण प्रदान करना ईप्सित है, जिसे उक्त अधिनियम के अधीन विरचित स्कीम लागू होती है, तथा कुछ विनिर्दिष्ट प्रसुविधाओं के कुल परिमाण को भी संरक्षण प्रदान करना ईप्सित है, जिसके लिए वह अपने नियोजक के निबंधनों के अधीन हकदार है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, धारा 12 द्वारा नियोजन को ऐसे कर्मचारी की मजदूरी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कटौती करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है, जिसे स्कीम लागू होती है, या वृद्धावस्था-पेंशन, उपदान, भविष्य निधि या जीवन बीमा के रूप में कुल प्रसुविधाओं में कटौती करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है, जिसे कर्मचारी अपने नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों के अधीन हकदार है। उक्त धारा इस आधार पर चलती है कि यदि कोई कर्मचारी अपने नियोजन के निबंधनों के अधीन वृद्धावस्था पेंशन के रूप में किसी प्रसुविधा के लिए हकदार है, तो स्कीम के लागू होने पर उसे उस प्रसुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। याचियों का यह कथन नहीं है कि तारीख 30 जून, 1961 को, जब भविष्य निधि स्कीम आयोग को लागू बनाई गई, याची स्थायी हो गए थे और वे पेंशन के लिए हकदार थे। अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य निधि स्कीम के आयोग को लागू होने की तारीख को याची अपने नियोजन के निबंधनों के अधीन पेंशन के लिए हकदार थे। अत: वे भविष्य निधि अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों का अवलंब नहीं ले सकते हैं।

14. ऊपर निर्दिष्ट सोम प्रकाश रेखी बनाम भारत संघ और एक अन्य वाले

1990(3) eILR(PAT) SC 1

मामले में, जिसका श्री राममूर्ति द्वारा अवलंब लिया गया है, इस न्यायालय के समक्ष याची बर्मा शैल आयल स्टोरेज लिमिटेड में लिपिक के रूप में नियोजित किया गया था। उक्त कंपनी का उपक्रम बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 के अधीन भारत सरकार द्वारा कानूनी रूप से अर्जित किया गया और बाद में उक्त उपक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी कंपनी भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित किया गया। बर्मा शैल में एक स्वैच्छिक सेवा स्कीम प्रवृत्त थी, जो 1950 के न्यास विलेख के निबंधनों द्वारा शासित होती थी। उक्त याची उक्त स्कीम के अधीन पेंशन प्राप्त कर रहा था। उसे संदत्त उपदान और कर्मचारी भविष्य निधि के मद्धे उसे संदत्त पेंशन से कुछ कटौतियां की गईं। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भविष्य निधि अधिनियम की धारा 12 को देखते हुए, ये कटौतियां अनुज्ञेय नहीं थीं और पेंशन की संपूर्ण रकम याची को किसी कटौती के बिना संदत्त की जानी चाहिए। यह विनिश्चय प्रस्तुत मामले को लागू नहीं होती है क्योंकि उस मामले में इस न्यायालय के समक्ष याची उस समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अधीन पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार था, जब भविष्य निधि अधिनियम के उपबंध बर्मा शैल को लागू हुए और पेंशन प्राप्त करने का अधिकार उक्त याची के नियोजन के निबंधनों का भाग था। वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि तारीख 30 जून, 1961 को आयोग को भविष्य निधि स्कीम के लागू होने की तारीख को याची पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार थे और पेंशन की प्रसुविधा उस तारीख को याचियों के नियोजन के निबंधनों का एक भाग थी।

15. ऊपर वर्णित कारणों से यह अभिनिर्धारित किया ही जाना चाहिए कि वे व्यक्ति, जो उस समय आयोग के यहां स्थायी हैसियत में नियोजित किए गए थे, जब वह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अधिनियमित किए जाने के पूर्व भारत सरकार के विभाग के रूप में चलाया जा रहा था, और जो उक्त अधिनियम के अधीन यथास्थापित आयोग में बाद में आमेलित कर लिए गए, भविष्य निधि प्रसुविधाओं के अतिरिक्त पेंशन के लिए हकदार नहीं हैं, जिनके लिए वे भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंधों के अधीन हकदार हैं। अतः रिट याचिका असफल रहती है और तदनुसार खारिज की जाती है। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

रिट याचिका खारिज की गई।

न०